



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फ़ैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/आंभाशिसं०/डिप्लोमा/प्रवेश/26-27/456
प्रति,

भोपाल, दिनांक 10/6/26

मुख्य परिचालन अधिकारी
एम०पी०ऑनलाईन
भोपाल (म०प्र०)

विषय:-आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा संचालित एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया संबंधी नियम एवं निर्देश।

सत्र 2026-27 के लिए आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल द्वारा संचालित एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम में एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इस संबंध में निम्नानुसार प्रवेश नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं:-

1. मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के अधीन आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल संचालित है। यह संस्थान प्रदेश का एकमात्र शासकीय संस्थान है, जहाँ अंग्रेजी भाषा में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। यह पाठ्यक्रम बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल से संबद्धता प्राप्त है।
2. **अधिकार-** प्रवेश हेतु आवेदकों के चयन संबंधी नीति निर्धारण करने, नियमों की व्याख्या करने, प्रवेश संबंधी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने, प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धांतों/प्रवेश नियमों एवं प्रक्रिया को परिवर्तित व संशोधित करने का अधिकार आयुक्त/संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश को रहेगा। प्रवेश के संबंध में आयुक्त/संचालक के निर्णय सर्वमान्य एवं बंधनकारी होंगे। ऑनलाईन काउन्सलिंग की प्रक्रिया के संचालन हेतु आवश्यकता होने पर इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप आयुक्त/संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए जा सकेंगे।
3. **प्रभावशीलता-** यह प्रवेश नियम आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राज्य शिक्षा केन्द्र में संचालित एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम में प्रभावशील होंगे।
4. **संस्थान की सीटों का विवरण-**

पाठ्यक्रम	स्कूल शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट	अनु० जनजाति कल्याण विभाग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध सीट	कुल सीट
एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश	20	10	30

5. प्रवेश हेतु पात्रता-

- 5.1 संस्थान के एक वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासकीय सेवारत (स्कूल शिक्षा विभाग/अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)व्याख्याता/ शिक्षक/प्रधानाध्यापक/उच्च माध्यमिक शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक पात्र होंगे जो विद्यालय में अंग्रेजी विषय का अध्यापन करा रहे हों, तथा जिन्हें 01 जुलाई 2026 को या इसके पूर्व न्यूनतम 1 वर्ष का अंग्रेजी विषय पढ़ाने का अनुभव हो।
- 5.2 संस्थान की सीटें रिक्त रहने पर कंडिका 5.1 में उल्लेखित संवर्ग की उपलब्धता न पाये जाने पर परस्पर तथा शासकीय सेवारत प्राथमिक शिक्षक संवर्ग से भरी जा सकेंगी। जिन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की हो तथा जिन्हें माध्यमिक अथवा उच्च/उच्चतर स्तर में 01 जुलाई 2026 से पूर्व न्यूनतम एक वर्ष का अंग्रेजी पढ़ाने का अनुभव हो।
- 5.3 शासकीय शिक्षक द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य है। अपवाद स्वरूप उचित कारण होने पर पाठ्यक्रम के दौरान अभ्यर्थी को संस्थान से मूल संस्था की ओर पुनः कार्यमुक्त किया जा सकेगा। शासकीय सेवक को उसके लिए निर्धारित सभी अनुशासनिक/आचरण नियमों का पालन करना होगा।
- 5.4 अभ्यर्थी के लिए पाठ्यक्रम का सत्र प्रारम्भ होने के वर्ष की दिनांक 01 जुलाई 2026 को अधिकतम आयु 50 वर्ष अथवा उससे कम होनी चाहिए।

6- प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता-

एम.ए. अंग्रेजी में न्यूनतम 50% अंकों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधिधारी।

7- प्रवेश प्रक्रिया-

प्रवेश के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश संबंधी कार्यवाही करनी होगी। इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं के निवास पर उपलब्ध इन्टरनेट सुविधा अथवा एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।

- 7.1 पंजीयन- सभी अभ्यर्थियों को <http://rsk.mponline.gov.in> पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। पंजीयन हेतु एम.पी.ऑनलाइन द्वारा निर्धारित शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।
- 7.2 पंजीयन करते समय समस्त आवश्यक दस्तावेज यथा कक्षा-10,12 एवं स्नातक, स्नातकोत्तर इत्यादि की अंकसूची, संस्था प्रधान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र तथा अन्य दस्तावेज एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- 7.3 पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थी को एस.एम.एस. द्वारा जानकारी प्राप्त होगी।

8- सीट आवंटन-

- 8.1 अभ्यर्थियों के प्रवेश अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित मेरिट सूची के अनुसार गुणानुक्रम में निर्धारित काउन्सिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश होंगे।
- 8.2 समान संवर्ग के अभ्यर्थियों के अर्हताकारी परीक्षा में अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि को वरीयता दी जाएगी।
- 8.3 निर्धारित तिथि तक आवंटित सीटों के विरुद्ध पर्याप्त मान्य आवेदन न होने की स्थिति में रिक्त रह गई सीटों को कंडिका 5.1 एवं 5.2 के आधार पर काउन्सिलिंग के अन्य राउंड में भरा जाएगा।
- 8.4 सीट आवंटन के आधार पर एम.पी.ऑनलाइन द्वारा अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा, एवं पोर्टल पर दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

9. संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया-

- 9.1 संस्थान में प्रवेश लेने हेतु एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल <http://rsk.mponline.gov.in> पर (प्रवेश प्रारम्भ एवं समाप्ति की तारीख) अवधि प्रदर्शित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी को ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना होगा।
- 9.2 संस्थान को एम.पी.ऑनलाइन द्वारा आवंटित अभ्यर्थी की सूची मेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। संस्थान द्वारा संधारित मेल आई.डी-eltibhopal@gmail.com एम.पी.ऑनलाइन से पत्र व्यवहार हेतु मान्य होंगे।
- 9.3 अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु पात्र होने पर पोर्टल से सीट अलॉटमेंट लेटर प्राप्त होगा। इसके आधार पर अभ्यर्थी को संस्थान में उपस्थित होकर सभी आवश्यक प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन कराना पड़ेगा।
- 9.4 अभ्यर्थियों को इसके पश्चात् नियमानुसार निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी की सीट संस्थान द्वारा लॉक की जाएगी। सीट लॉक होने पर आवेदक का प्रवेश मान्य होगा तथा इसकी सूचना अभ्यर्थी को मेल एवं एस.एम.एस. द्वारा दी जाएगी।
10. **शुल्क**- आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान में प्रवेश के उपरांत राज्य शासन एवं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।

(हरजिंदर सिंह)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल

पृ0कमांक/राशिके/शिशि/ 2026-27/457
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 10/6/26

01. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन की ओर सूचनार्थ।
02. निज सहायक, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन की ओर सूचनार्थ।
03. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, गौतमनगर, भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
04. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
05. संचालक, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
06. कलेक्टर, समस्त जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
07. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
08. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग म0प्र0 की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. संभागीय आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल